भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1213

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- उपग्रहों द्वारा फसलों की क्षति का आकलन

1213. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उपग्रहों अर्थात् सुदूर संवेदन के माध्यम से फसलों की क्षति का आकलन करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इससे फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों की हानि का सही और सटीक आकलन सुनिश्चित होगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या किसान एजेंसियों द्वारा खरीद न किए जाने अथवा उनके द्वारा खरीद में विलंब के कारण क्षतिग्रस्त हुई तथा खेत में पड़ी हुई फसल हेतु मुआवजे की मांग करते रहे हैं; और
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एम.एन.सी.एफ.सी.) के माध्यम से विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियों को शामिल करके उपग्रहों अर्थात रिमोट सेंसिंग डेटा सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पी.एम.एफ.बी.वाई. के तहत यथासमय और पारदर्शी उपज अनुमान के लिए पायलट अध्ययन किया है। इन पायलट अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर और स्टेकहोल्डर्स और तकनीकी परामर्श के साथ विचार-विमर्श के बाद, खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए येस-टेक (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली) की शुरुआत की गई है। सरकार ने फसल हानि आकलन में सुधार लाने और किसानों के लिए समय पर बीमा दावों का भुगतान करने के लिए पारंपरिक फसल कटाई प्रयोगों (सी.सी.ई.) आधारित उपज अनुमान के साथ प्रौद्योगिकी आधारित उपज

अनुमान को लागू किया है। इस पहल के तहत उपज अनुमान में 30% वेटेज अनिवार्य रूप से येस-टेक से प्राप्त उपज को दिया गया है।

खरीफ 2023 में, सभी कार्यान्वयन राज्यों ने येस-टेक का उपयोग करके दावों की गणना और भुगतान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और किसी भी स्टेकहोल्डर से किसी विवाद की सूचना नहीं मिली है; जिससे प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ गई है।

पीएमएफबीवाई को मुख्य रूप से 'एरिया अप्रोच' के आधार पर लागू किया जाता है और इस योजना के तहत किसानों को बहुत ही न्यूनतम प्रीमियम पर फसलों की बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक सभी गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों हेतु व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। हालांकि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग के स्थानीय जोखिमों और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण कटाई के बाद होने वाले नुकसान की गणना व्यक्तिगत बीमित फार्म के आधार पर की जाती है।

इसके अतिरिक्त, एजेंसियों द्वारा खरीद न करने या खरीद में विलंब के कारण फसलों को होने वाली क्षति को पीएमएफबीवाई के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है।

फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और सुझाव/अभ्यावेदन/ स्टेकहोल्डर्स की सिफारिशों/अध्ययनों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभव, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के विचारों के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को अधिक किसान अनुकूल बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर पीएमएफबीवाई के परिचालन दिशा-निर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत पात्र किसानों को लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुँचें।

*****